न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेड़ा, जिला चितौड़गढ (राज0)

प्रकरण संख्याः– 134/2019 दिनांकः– 24.06.2019

श्रीमति सुनिता पुत्री कल्याणमल जाति तिवारी ब्राहम्ण आयु वयस्क निवासी नीमच जिला नीमच म0प्र0 हा0मु0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा जिला चितौड़गढ़ (राज0)

//बनाम//

1. बगदीराम पिता नारायण जाति कुम्हार आयु वयस्क निवासी जावदा जिला चितौड़गढ।
2. अविनाश कुमार (गंगानगर वाले) पिता नाम नामालुम जाति टांक आयु वयस्क निवासी नीमच जिला नीमच म0प्र0।

प्रार्थना पत्र तहत धारा 128 रा0ले0रे0एक्ट

आदेश

पत्रावली प्रस्तुत हुई । प्रार्थी ने अपने खातेदारी की आराजीयात वाके मौजा जावदा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 495 की आराजी न0 1898 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, कुल कीता 1 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराने का निवेदन किया है। विपक्षीगण प्रार्थी की भूमि के पड़ौसी है। प्रार्थी राजस्व रेकार्ड में प्रश्नगत भूमि का खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढ़ी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार निम्बाहेड़ा को 500/– रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभय पक्ष को सूचना देते हुए, मौके पर कोई विवाद नहीं हाने की स्थिति में , किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं होने पर प्रार्थी की खातेदारी कि वाके मौजा जावदा प0ह0 जावदा तहसील निम्बाहेड़ा की खाता संख्या 495 की आराजी न0 1898 रकबा 1.0800 हैक्टेयर, कुल कीता 1 कुल रकबा 1.0800 हैक्टेयर भूमि की किसी भी पक्ष के कब्जे में दखल दिये बगैर पत्थरगढ़ी करें। पत्थरगढ़ी किये जाने की पालना 15 दिवस में पेश करे।

आज दिनांक 24.06.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पंकज शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Sharma
Date: 2020.02.20 17:21:52 IST
Reason: SelfAttested